न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम ईटडिया तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 67/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 छोटू पिता मांगु कुम्हार उम्र–वयस्क निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 महावीर पिता माधु कुम्हार उम्र–वयस्क निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 हगामीलाल पिता माधु कुम्हार उम्र–वयस्क निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 काना पिता धन्ना कुम्हार उम्र–वयस्क निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 नोरत पिता धन्ना कुम्हार उम्र–वयस्क निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 नोरती पुत्री धन्ना कुम्हार उम्र–वयस्क निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 लाली पुत्री धन्ना कुम्हार उम्र–वयस्क निवासी बागथला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 शाखा प्रवन्धक, वेंक ऑफ वडोदा शाखा कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 तहसीलदार (भूमिधार) फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपरिथत :::– श्रीमती मदीना वानू––––वकील प्रार्थी
अनुपरिथत– श्री विजय पाराशर...................विपक्षी 01 से 04
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बागथला पटवार मण्डल ईटडिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 51 के आराजी संख्या 785/154 रकबा 0.26 हैक्ट. प्रार्थी संख्या 01 एवं खतौनी संख्या 164 के आराजी संख्या 784/154, 786/154 रकबा 0.54 हैक्ट. प्रार्थी संख्या 02, 03 के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडोसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरूआत से अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों [illegible] उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षीगणों की आराजी संख्या 151, 152 [illegible] सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी [illegible] स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के हक [illegible] की आराजी संख्या 151, 152 भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता [illegible] किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 02.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की और से अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 01 से 04 की ओर से खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी जवाबदाता की भूमि कब्जा करने की नियत से 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नही है। यदि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही अप्रार्थीगणों का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें। शेष विपक्षी संख्या 04 के द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 04 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार फुलियाकलां मार्फत हल्का पटवारी ईटडिया से पर्चा मौका, रिपोर्ट हल्का पटवारी प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया गया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बावत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा बागथला स्थित आराजी संख्या 151 में से 0.005 हैक्टे. (52 वर्गमीटर), आराजी संख्या 152 में से 0.025 हैक्टे. (256 वर्गमीटर) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु तहसीलदार फुलियाकलां मार्फत हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल मात्र आराजी संख्या 151 में से 0.005 हैक्टे. (52 वर्गमीटर), आराजी संख्या 152 में से 0.025 हैक्टे. (256 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप ऐसा कोई तथ्य नही प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 20 फिट का रास्ता चाहा गया था, एवं उसी क्रम में अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा मौजा बागथला स्थित आराजी संख्या 151 में से 0.005 हैक्टे. (52 वर्गमीटर), आराजी संख्या 152 में से 0.025 हैक्टे. (256 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम बागथला पटवार मण्डल ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 151 में से 0.005 हैक्टे. (52 वर्गमीटर), आराजी संख्या 152 में से 0.025 हैक्टे. (256 वर्गमीटर) कुल 0.030 हैक्ट. (308 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 151, 152 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.030 हैक्टेयर मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 14,322/–रूपये (0.030 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम ईटडिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:01 IST
Reason: SelfAttested